

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2399
15.07.2019 को उत्तर के लिए

देश में वायु प्रदूषण

2399. श्री संजय सिंह :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वैश्विक परिदृश्य की तुलना में भारत में वायु प्रदूषण में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विशेषकर महानगरों में मनुष्य के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं; और
- (ग) वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

- (क) वर्ष 2016-2018 के दौरान महानगरों/दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़े **अनुबंध-1** में दिए गए हैं। वर्ष 2016-18 के दौरान आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि वर्ष 2016-18 के दौरान सभी 50 शहरों में SO₂ के स्तर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) के भीतर थे। NO₂ के संबंध में, 17 शहरों में बढ़ती प्रवृत्ति, 16 शहरों में घटता संकेन्द्रण, 16 शहरों में घटती-बढ़ती प्रवृत्ति और 1 शहर में स्थिर संकेन्द्रण पाया गया है। PM₁₀ के संबंध में, 14 शहरों में बढ़ती प्रवृत्ति, 14 शहरों में घटता संकेन्द्रण और 22 शहरों में घटती-बढ़ती प्रवृत्ति पायी गई है। PM_{2.5} के संबंध में, 17 शहरों की प्रवृत्तियां उपलब्ध हैं, जिनमें से 08 शहरों में बढ़ती प्रवृत्ति पायी गई है, 04 शहरों में घटता संकेन्द्रण पाया गया है तथा 05 शहरों में घटती-बढ़ती प्रवृत्ति पायी गई है।
- (ख) यद्यपि श्वसन संबंधी बीमारियों और संबद्ध रोगों के लिए वायु प्रदूषण एक प्रमुख कारक है तथापि, देश में ऐसे कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह साबित होता हो कि विशिष्ट रूप से वायु प्रदूषण का मृत्यु/बीमारी से कोई प्रत्यक्ष परस्पर संबंध है।
- (ग) केंद्र सरकार ने दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए अनेक पहलें की हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

योजनाएं और निदेश

- दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए अभिज्ञात कार्य-कलापों हेतु समय-सीमाएं और कार्यान्वयन एजेंसी को अभिज्ञात करते हुए व्यापक कार्य योजना (सीएपी) को अधिसूचित किया गया है।
- दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के लिए ग्रेडिड रिस्पांस कार्रवाई योजना को अधिसूचित किया गया है।
- केंद्रीय क्षेत्र की “प्रदूषण नियंत्रण” योजना के तहत देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक समयबद्ध राष्ट्र-स्तरीय कार्यनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की गई है।
- एनसीएपी के तहत शहर विशेष की कार्य-योजना तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने हेतु 102 ऐसे शहरों को अभिज्ञात किया गया है जहां वायु की गुणवत्ता परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है।

निगरानी

- परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना।
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की अधिसूचना
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से अक्टूबर, 2018 में दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता शीघ्र चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन।

परिवहन

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1 अप्रैल, 2018 से और देश के अन्य भागों में 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानक अपनाना।
- स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधन जैसे गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी आदि), इथेनॉल मिश्रण की शुरुआत करना।
- सड़कों पर वाहनों की अधिकता के कारण भीड़-भाड़ को कम करने हेतु सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और सड़कों में सुधार तथा और ज्यादा पुलों का निर्माण।
- दिल्ली से अ-लक्षित वाहनों के मार्ग को डाइवर्ट करने हेतु पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे और पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे का प्रचालन।
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना।

उद्योग

- 15 अक्टूबर, 2018 से बदरपुर ताप विद्युत परियोजना को बंद कर दिया गया है।
- दिल्ली और एनसीआर में सभी ईट-भट्टों को मिश्रित प्रौद्योगिकी अपनाने का निदेश दिया गया है।
- दिल्ली और एनसीआर में रेड श्रेणी के सभी उद्योगों में ऑन-लाइन सतत (24x7) निगरानी उपकरणों की संस्थापना।
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समय-समय पर उत्सर्जन मानकों का संशोधन।

बायोमास और ठोस अपशिष्ट

- वर्ष 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्ट के खेत में ही प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा' संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरू की गई है।
- बायोमास के जलाने पर प्रतिबंध लगाना।
- दिल्ली में इस समय 5100 टन प्रतिदिन (टीपीडी) की कुल क्षमता वाले 3 अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने वाले (डब्ल्यू-टी-ई) संयंत्र प्रचालित हैं।
- वर्ष 2016 में ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट तथा खतरनाक अपशिष्टों को शामिल करते हुए 6 अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किए गए हैं।

धूल-कण

- निर्माण और विध्वंस कार्यकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
- दिल्ली में मशीनीकृत सड़क सफाई मशीनों की संख्या में काफी वृद्धि की गई है और वर्तमान में सड़कों की सफाई के लिए 60 मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।

जन-संपर्क अभियान

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार ने 10-23 फरवरी, 2018 के दौरान दिल्ली के लिए स्वच्छ वायु अभियान की शुरुआत की थी और दिवाली से पहले और उसके बाद 1 नवंबर, 2018 से 10 नवंबर, 2018 के दौरान वायु प्रदूषण फैलाने वाले कार्यकलापों को नियंत्रित करने हेतु "स्वच्छ वायु अभियान" नामक एक विशेष अभियान आरंभ किया था।
- मंत्रालय द्वारा हरित अच्छे कार्यों, जिनमें साईकिल की सवारी करने को बढ़ावा देने, जल और बिजली बचाने, पेड़ लगाने, वाहनों का उचित अनुरक्षण करने, सड़कों पर लेन अनुशासन का पालन करने तथा कार पूलिंग द्वारा सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसके माध्यम से पर्यावरणीय संरक्षण हेतु लोगों की भागीदारी और नागरिकों में जागरूकता सृजन अभियानों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित जन-शिकायतों के समाधान हेतु 'समीर ऐप', ई-मेल (aircomplaints.cpcb@gov.in) और 'सोशल मीडिया नेटवर्क' (फेसबुक और ट्विटर) इत्यादि के माध्यम से एक तंत्र विकसित किया गया है।

दिल्ली में उठाए गए इन कदमों के फलस्वरूप, वर्ष 2018 में 'अच्छे', 'संतोषजनक' और 'सामान्य', दिनों की संख्या बढ़कर 159 हुई है जबकि वर्ष 2017 में यह 152 थी और वर्ष 2016 में 106 थी और 'खराब', 'बहुत खराब', और 'गंभीर', दिनों की संख्या जो 2017 में 213 थी और 2016 में 246 थी वह 2018 में घटकर 206 हो गई थी वर्ष 2016-2018 के दौरान सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों (सीएएक्यूएमएस) के तहत प्राप्त किए गए दिल्ली के परिवेशी वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2018 में PM_{2.5} के स्तरों में वर्ष 2017 की तुलना में 7.3% और वर्ष 2016 की तुलना में 14.8% की कमी हुई और वर्ष 2018 में PM₁₀ के स्तरों में वर्ष 2017 की तुलना में 8.6% और 2016 की तुलना में 16.5% की कमी हुई है।

14.	पंजाब	35.	अमृतसर	12	29	194	-	11	27	168	-	13	34	177	-
		36.	लुधियाना	11	25	139	-	10	28	162	-	9	32	162	-
15.	राजस्थान	37.	जयपुर	8	33	199	-	8	30	177	-	8	32	165	-
		38.	जोधपुर	6	23	168	-	6	21	180	-	7	24	223	-
		39.	कोटा	7	30	109	-	8	28	130	-	7	28	152	-
16.	तमिलनाडु	40.	चैन्ने	10	18	65	25	9	17	62	32	9	16	78	34
		41.	कोयंबटूर	6	24	59	35	5	26	49	34	6	23	54	32
		42.	मदुरै	15	24	76	38	14	23	67	30	12	20	84	34
		43.	त्रिची	12	20	95	27	12	20	86		17	23	110	53
17.	तेलंगाना	44.	हैदराबाद	5	27	101	49	6	28	108	54	5	30	105	55
18.	उत्तर प्रदेश	45.	आगरा	5	22	198	-	4	19	185	124	4	22	209	106
		46.	इलाहाबाद	4	37	196	-	4	40	140	-	4	45	231	-
		47.	गाज़ियाबाद	15	28	235	-	22	34	280	-	21	43	245	103
		48.	कानपुर	7	39	217	-	7	45	224	-	7	47	218	-
		49.	लखनऊ	8	27	214	-	8	26	246	102	7	30	217	108
		50.	मेरठ	7	55	157	-	7	52	153	-	7	58	177	-
		51.	वाराणसी	11	32	256	-	10	38	244	-	9	34	189	-
19.	पश्चिम बंगाल	52.	आसनसोल	13	42	211	88	12	37	163	67	13	35	146	58
		53.	कोलकाता	4	49	113	70	6	41	120	71	6	44	148	86

विशेष टिप्पणी। एनए - शहर में कोई निगरानी केंद्र नहीं है, 'A' आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आवासीय, औद्योगिक, ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) (वार्षिक औसत) $SO_2 = 50\mu g/m^3$, $NO_2 = 40\mu g/m^3$, $PM_{10} = 60\mu g/m^3$ और $PM_{2.5} = 40\mu g/m^3$ हैं तथा पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के लिए $SO_2 = 20\mu g/m^3$, $NO_2 = 30\mu g/m^3$, $PM_{10} = 60\mu g/m^3$ और $PM_{2.5} = 40\mu g/m^3$ हैं। वर्ष 2018 के लिए तालिका में प्रस्तुत किए गए आंकड़े आज की तारीख में उपलब्ध अनुसार हैं।